

सं. 4-203/2016-रा.म.आ.(प्रशा.)
राष्ट्रीय महिला आयोग
भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र
नई दिल्ली- 110025

जुलाई, 2020

सेवा

भाग - I

(सूचना आमंत्रित - सीमित निविदा)

राष्ट्रीय महिला आयोग मूल उपकरण निर्माता (OEM) से सीमित निविदा को आमंत्रित करता है जो रा.म.आ. के पूर्ण सेवा अनुरक्षण समझौते (FSMA) के लिए दिल्ली के NCT में फोटोकॉपियर के पूर्ण सेवा अनुरक्षण अनुबंध (एफएसएमए) के अनुसार विनिर्देश और मात्रा के अनुसार अनुबंध। में दर्शाया गया है।

| | | |
|----|---------------------------------------|--|
| 1 | निविदा संख्या | सं.4-203/2016 -रा.म.आ.(प्रशा.) |
| 2. | कार्य का नाम | पूर्ण सेवा अनुरक्षण समझौता (एफएसएमए) - सभी उपभोज्य भागों और स्पेयर पार्ट्स आदि के साथ |
| 3 | संविदा की अवधि | प्रारंभ में 1 वर्ष की अवधि के लिए। समान नियमों और शर्तों पर पिछले वर्ष में संतोषजनक / अच्छी सेवाएं प्रदान करने के अनुसार 1 वर्ष की आगे की अवधि के लिए विस्तारित। |
| 4 | बयाना राशि | 10,000/- रुपये (ड्राफ्ट ऑर्डर "पी.ए.ओ., राष्ट्रीय महिला आयोग" नई दिल्ली के नाम पर देय। |
| 5 | निविदा का प्रकार | सीमित निविदा जांच |
| 6 | अंतिम तिथि और बोलियां जमा करने का समय | 29/07/2020 समय- शाम 5.00 बजे |
| 7 | संचार के लिए पता | सुश्री बर्नाली शोम, अवर सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग, भूखंड 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली -110025 फोन. 011-26944890 ईमेल - barnali.shome@gov.in |

भवदीया,
Sd/-
(बर्नाली शोम)
अवर सचिव

भाग - II

निविदाओं के प्रस्तुतीकरण के लिए निर्देश और सामान्य नियम एव शर्तें

1. **फोटोकॉपियर का निरीक्षण:** फर्म निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी कार्य दिवस पर राष्ट्रीय महिला आयोग में लगे हुए कोनिका मिनोल्टा फोटोकॉपियर का निरीक्षण कर सकता है। फर्म उसी के लिए अवर सचिव (सामान्य प्रशासन) से संपर्क करेंगे।

2. फर्मों को निविदा की हार्ड कॉपी को अंतिम तिथि से पहले जमा करना है। निविदा में आवश्यकतानुसार पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस दस्तावेज़ के पैरा 4 के लिए आवश्यक किसी भी सूचना/दस्तावेज़ को प्रस्तुत नहीं करने पर बोलियों की अस्वीकृति हो जाएगी।

3. एक वर्ष में मासिक आधार पर 12 निवारक सर्विसिंग सख्ती से होगी।

4. फर्म से आवश्यक दस्तावेज़:

(क) अनुबंध- 1 के अनुसार कवरिंग लैटर

(ख) अनुबंध- II के अनुसार फर्मों की सामान्य जानकारी

(ग) इस निविदा दस्तावेज़ की कॉपी को नियमों और शर्तों की स्वीकृति के लिए फर्म के टोकन के साथ विधिवत हस्ताक्षरित किया गया है।

(घ) इंक ने ओईएम से प्राधिकरण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं कि फर्म को इस निविदा के खिलाफ भाग लेने के लिए अधिकृत किया गया है। स्याही हस्ताक्षरित प्राधिकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफलता बोली को अमान्य कर देगी।

(च) बयाना राशि 10,000 /- रुपये (केवल दस हजार) का भुगतान "पी.ए.ओ., राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली में देय" के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट / बैंक गारंटी के रूप में किया जाना चाहिए। बयाना राशि के बिना बोलियों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। यदि किसी बोलीदाता का चयन किया जाता है, तो उसकी / उसके बयाना राशि को बरकरार रखा जाएगा और उसकी / उसके प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर वापस कर दी जाएगी। असफल बोलीकर्ताओं की बयाना राशि को अनुबंध के पुरस्कार के बाद वापस कर दिया जाएगा। बोली सुरक्षा (बयाना राशि) पर रा.म.आ. द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। मौजूदा नियमों के अनुसार, सरकारी आदेशों को आवश्यक रूप से उपयुक्त सरकारी दस्तावेज़ों / परिपत्रों या आदेशों द्वारा समर्थित होना चाहिए। इस संबंध में अनुपालन करने में विफलता के कारण बोलियों की अस्वीकृति हो सकती है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSMEs) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार, 2012 दिनांक 23.03.2012 MSME मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, भाग लेने वाले MSE अपने प्रस्तावों के साथ संलग्न होंगे, अधिसूचना में उल्लिखित किसी भी एजेंसी के साथ उनके MSE पंजीकृत होने का प्रमाण। MSME मंत्रालय ने निविदा सेवा के लिए नीचे संकेत दिया है:

(i) जिला उद्योग केंद्र

(ii) खादी और ग्रामोद्योग आयोग

(iii) खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड

(iv) कयर बोर्ड

(v) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

(vi) मध्यम, लघु, सूक्ष्म उद्यम

(vii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य निकाय

5. निविदा की अस्वीकृति

निविदा की स्वीकृति राष्ट्रीय महिला आयोग के पास होगी जो सबसे कम निविदा या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होती है और किसी भी कारण को बताए बिना किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखती है।

यदि निविदाकर्ता जानबूझकर अपनी निविदा में गलत जानकारी देता है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग किसी भी स्तर पर इस तरह के निविदा को अस्वीकार करने या अनुबंध को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, यदि सम्मानित किया गया है और देय होने पर ईएमडी / राशि को रोक देता है।

क्या निविदाकर्ता या ठेकेदार या फर्मों के ठेकेदार या कंपनी के मामले में / उसके एक या अधिक साझेदार / शेयरधारकों / निदेशकों के पास राष्ट्रीय महिला आयोग में नियोजित या संबंध हैं, निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को इस तथ्य के साथ सूचित किया जाएगा यह प्रस्ताव, महिलाओं के लिए इस राष्ट्रीय आयोग को विफल करना अपने विवेकाधिकार पर निविदा को अस्वीकार कर सकता है या अनुबंध रद्द कर सकता है और यदि देय हो तो बयाना राशि / राशि को रोक सकता है।

6. प्रदर्शन सुरक्षा जमा: 30,000/ - (रुपये केवल तीस हजार) का भुगतान "पीएओ, राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली में देय सुरक्षा जमा राशि के रूप में" के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट / बैंक गारंटी के रूप में किया जाना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट / बैंक गारंटी की परिपक्वता तिथि 18 महीने की होनी चाहिए।

7. एल 1 बोलीदाता का निर्धारण: सभी समावेशी दर (मूल दर, कर, भाड़ा सहित) के आधार पर बोलियों की रैंकिंग का मूल्यांकन किया जाएगा। एक से अधिक L1 बोली लगाने वाले के मामले में, अनुबंध L1 बोलीदाताओं के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। हालांकि, NCW आपूर्तिकर्ता के प्रदर्शन के आधार पर वर्क ऑर्डर वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक बोलीदाता की L1 दरों को स्वीकार नहीं करने का अधिकार रखता है।

8. राष्ट्रीय महिला आयोग को किसी भी कारण को बताए बिना किसी भी बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने या निविदा कार्यवाही को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। भ्रामक, अनुचित दरों के आपातकाल की स्थिति में, यह कार्यालय जनहित में इस अनुबंध के पुरस्कार में उपयुक्त

और आवश्यक समझा गया कोई भी उचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता पर होगा। इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग का निर्णय पूर्ण और अंतिम होगा।

9. **भुगतान की शर्तें:** रखरखाव शुल्क का भुगतान सेवा के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद तिमाही आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए तिमाही के दौरान मशीन की सेवा रिपोर्टों के साथ-साथ डुप्लिकेट में बिल जमा करने होंगे, ताकि भुगतान के अंत में इस प्रक्रिया को सक्षम बनाया जा सके।

10. राष्ट्रीय महिला आयोग दर अनुबंध की अवधि के दौरान निविदा के मूल्य का 30% तक मांगपत्र बढ़ाने या घटाने का अधिकार रखता है। दर अनुबंध के विस्तार के मामले में, मांगपत्र को भी तेजी से बढ़ाया जाएगा।

11. इस निविदा नोटिस की धारा- IV का उल्लेख करते हुए वित्तीय बोली को बिल ऑफ क्वांटिटी (BOQ) के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए:

क) वित्तीय बोली पूर्ण सेवा रखरखाव समझौते, निवारक जाँच आदि के लिए प्रति कॉपी दर (ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी) के आधार पर दी जानी चाहिए। उद्धृत कीमतों में मशीनों के रखरखाव, प्रतिस्थापन सहित सभी ओवरहेड्स का प्रभाव शामिल होना चाहिए। पहना भागों, उपभोग्य सामग्रियों जैसे टोनर, ड्रम, सफाई ब्लेड, आदि।

ख) फर्म को अपनी योग्यता और सेवा इंजीनियरों और सेवा केंद्रों के मोबाइल नंबर के साथ रा.म.आ कार्यालय के लिए संलग्न होने के लिए इंजीनियरों की सूची प्रदान करनी चाहिए। टेलीफोन पर उपयोगकर्ता द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर सभी दोष तुरंत उठाए जाने चाहिए। मरम्मत साइट पर ही की जाएगी। हालांकि, अगर उपकरण को कार्यशाला में ले जाया जाता है, तो फर्म उसी के लिए एक स्टैंड प्रदान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कार्यालय का काम इस खाते पर नहीं हो। इस प्रयोजन के लिए कोई परिवहन शुल्क आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा। सेवाओं को कार्यालय समय से परे और छुट्टियों पर भी प्रदान किया जाना चाहिए। यह रखरखाव और सभी उपकरणों के लिए फर्म की समग्र जिम्मेदारी होगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ये सही परिस्थितियों में रहें।

ग) उद्धृत दरों को सभी करों को छोड़कर होना चाहिए। करों को अलग से इंगित किया जाना चाहिए।

घ) फर्म निर्माता के दिशानिर्देशों के अनुसार उपकरण बनाए रखेगा और प्रतिस्थापन के रूप में केवल मूल उपभोग्य सामग्रियों और स्पेयर पार्ट्स का उपयोग करेगा। यदि रा.म.आ को पता चलता है कि फर्म द्वारा उपयोग की जाने वाली उपभोज्य वास्तविक नहीं हैं तो रा.म.आ तुरंत अनुबंध को समाप्त कर सकता है और डुप्लिकेट उपभोज्य के कारण सभी क्षति वसूली फर्म द्वारा वहन किया जाएगा। फर्म मूल कॉन्फिगरेशन / विनिर्देश / विशेषता / विशेषताओं को बनाए रखेगा जो बरकरार रहे मंत्रालय में अधिकृत अधिकारी के अनुमोदन / आदेश तक और जब तक नहीं बदला जाए।

ड) पत्र के पुरस्कार की तारीख से प्रभावी एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए दर मान्य होगी। निविदा को एक और वर्ष के लिए, समान दरों पर और यदि दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है।

12. पूर्ण या सशर्त निविदाओं में मनोरंजन नहीं किया जाएगा।

13. ध्यान में रखते हुए, समझौता "पूर्ण सेवा अनुरक्षण समझौते (FSMA)" के लिए होगा जिसमें सभी पुर्जों और उपभोग्य सामग्रियों (कागज, बिजली की आपूर्ति को छोड़कर) शामिल हैं, अर्थात् यदि किसी भी भाग (सभी प्लास्टिक के हिस्से सहित) को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है, तो समझौते के तहत किया जाएगा और किसी भी अतिरिक्त भाग के लिए या किसी अन्य सेवा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग (रा.म.आ) द्वारा कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा। मशीनों के वास्तविक OEM स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराना और मशीन को कार्य क्रम में रखना कंपनी की जिम्मेदारी होगी। पूर्ण सेवा रखरखाव समझौता दोषों के निदान के लिए होगा, स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति, टोनर / सिलिकॉन फ्यूज़र तेल की मरम्मत और निवारक रखरखाव, इसके बाद पूर्ण सेवा रखरखाव समझौता (FSMA) कहा जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का इरादा पूर्ण सेवा अनुरक्षण समझौते (एफएसएमए) के लिए अनुबंध को न्यूनतम दरों के आधार पर (L 1) यानी प्रति कॉपी (ब्लैक एंड व्हाइट) न्यूनतम दरों के आधार पर देने का है। इच्छुक बोलीदाता प्रति बोली दर (ब्लैक एंड व्हाइट) के आधार पर वित्तीय बोली में विचार किए जाने के लिए बोली लगाएगा।

14. **मध्यस्थता:** किसी भी विवाद या अंतर की स्थिति में जो भी इस अनुबंध के तहत उत्पन्न हो रहा है या इस अनुबंध के मौजूदा अर्थ और व्याख्या से संबंधित किसी भी विवाद सहित, पक्ष द्वारा आपसी बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्वक निपटारा किया जाएगा। मामले में, विवादों का कोई सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं है, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को संदर्भित किया जाएगा। मध्यस्थता मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार आयोजित किया जाएगा। पार्टियों के बीच किसी भी विवाद के बावजूद, ठेकेदार अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को वापस लेने, विलंब या स्थगित करने का हकदार नहीं होगा, और इसे अनुबंध की शर्तों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा। अनुबंध भारतीय कानूनों और दिल्ली में स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। सभी विवाद दिल्ली एनसीआर में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं और अनुबंध भूमि के कानून द्वारा शासित होगा।

15. **पेनल्टी क्लॉज:** सामग्री की गुणवत्ता / सेवा / रखरखाव और मात्रा में कोई विचलन, उस महीने के लिए चल रहे मूल्य का 5% जुर्माना कटौती की खोज करेगा, जिसमें यह खोज की जाएगी।

भाग III

पूर्णसेवा रखरखाव समझौता को पुरस्कृत करने के लिए अन्य नियम और शर्तें नीचे दी गई हैं

1. विक्रेता को 4 घंटे के भीतर एक योग्य इंजीनियर की सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। फर्म के इंजीनियर को उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल फोन से लैस होना चाहिए।
2. फर्म एफएसएमए के तहत ली जाने वाली प्रत्येक मशीन के लिए अलग-अलग लॉगबुक तैयार करेगी और बाहर से और अंदर से लिक्विड क्लीनर से मशीनों की विशेष सफाई के साथ रखरखाव को रोकना होगा। उपयोगकर्ता से एक निवारक अनुरक्षण रिपोर्ट को सामान्य प्रशासन अनुभाग में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर उचित जुर्माना लगाया जाएगा। त्रैमासिक भुगतान कड़ाई से प्रत्येक तिमाही के अंत में उपयोगकर्ता से संतोषजनक रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा।
3. अनुबंध पूर्ण सेवा अनुरक्षण समझौते (पूर्णसेवा रखरखाव समझौता) के आधार पर होगा अर्थात् किसी भी स्पेयर पार्ट्स, टोनर कार्ट्रिज, आदि के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।
4. किसी भी मामले में कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि, प्रत्येक तिमाही के पूरा होने के बाद त्रैमासिक भुगतान संबंधित उपयोगकर्ताओं से संतोषजनक रिपोर्ट के उत्पादन पर किया जाएगा।
5. यदि फर्म 2 दिनों के भीतर फोटोस्टेट मशीन की मरम्मत करने या प्रदान करने में विफल रहती है, तो 200/- रुपये (रुपये दो सौ केवल) प्रति दिन या उसके बाद के हिस्से को मशीन के गैर-कामकाज की तारीख से वसूला जाएगा, जब तक कि उसी समय पूरी तरह से मरम्मत न हो जाए।
6. राष्ट्रीय महिला आयोग किसी भी समय, बिना किसी कारण बताए, एक महीने का नोटिस दिए, यदि सफल बोलीदाता निविदा के नियमों और शर्तों का सम्मान नहीं करता है, तो बिना किसी कारण के नौकरी अनुबंध को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
7. इस मामले में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों / निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा स्वीकार की जाएगी।
8. राष्ट्रीय महिला आयोग किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है / और उसके बिना कोई कारण बताए, निविदा आदि खोलने की तिथि बढ़ाता है।
9. सफल बोलीदाता की गलती पर अनुबंध का निर्धारण करने के अपने अधिकार के अलावा, राष्ट्रीय महिला आयोग के पास बिना किसी कारण बताए पूरे या कुछ समय में अनुबंध को रद्द

करने का अधिकार है और राष्ट्रीय महिला आयोग के पास भी भंडार है। नैशनल कमिशन फॉर वुमेन स्पेसिफिकेशन्स और पूर्ण संतुष्टि के अनुसार, पूर्ण अनुबंधित कार्य के अनुबंध कार्य के किसी भी हिस्से के लिए सफल बोलीदाता को भुगतान करने या न करने का अधिकार।

10. अनुबंध के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्न, विवाद या मतभेद दिल्ली में न्यायालयों के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

भाग- IV

वित्तीय बोली (कोनिका मिनोल्टा फ़ोटोकॉपियर के लिए)

55 कॉपियों की दर प्रति मिनट (सीपीएम)

| क्र.सं. | फ़ोटोकॉपियर के प्रकार | फ़ोटोकॉपियर की सं. | प्रति कॉपी दर (रूपयों में) |
|---------|------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1. | ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटोकॉपियर | 02 | |
| | जीएसटी अतिरिक्त | | |

75 कॉपियों की दर प्रति मिनट (सीपीएम)

| क्र.सं. | फ़ोटोकॉपियर के प्रकार | फ़ोटोकॉपियर की सं. | प्रति कॉपी दर (रूपयों में) |
|---------|------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1. | ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटोकॉपियर | 01 | |
| | जीएसटी अतिरिक्त | | |

टिप्पण: 1) उपरोक्त दर कोनिका मिनोल्टा ब्रांड के सभी फ़ोटोकॉपियर मॉडल के लिए उद्दत है।

2) राष्ट्रीय महिला आयोग में कोनिका मिनोल्टा फ़ोटोकॉपियर की एक सूची अनुलग्नक-III पर है।

निविदा की स्वीकृति के लिए निविदाकर्ता द्वारा अग्रेषण पत्र

सेवा

अवर सचिव
राष्ट्रीय महिला आयोग
भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र
नई दिल्ली -110025

निविदा सूचना क्रमांक 4-203 / 2016-NCW (A)

विषय: कोनिका मिनोल्टा फोटोकॉपियर के एफएसएमए (पूर्ण सेवा रखरखाव समझौते - सभी उपभोज्य और गैर उपभोज्य भागों के साथ)।

मैंने / हमने _____ को पढ़ा है, टेंडर की विभिन्न शर्तें जुड़ी हुई हैं और इसके बाद उपरोक्त कार्य के लिए पूरी तरह से निविदा शर्तों और निविदा दस्तावेजों को बिना शर्त स्वीकार कर लिया है। मैं / हम उक्त शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं। / हम बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद 45 दिनों की अवधि के लिए स्वीकृति के लिए इस निविदा को खुला रखने के लिए भी सहमत हैं। यदि कोई और डिफॉल्ट रूप से, मैं / हम मेरे / हमारे बयाना पैसे के लिए उत्तरदायी होंगे। मैं / हम निविदा दस्तावेज में निर्धारित कार्य करने की पेशकश करते हैं। मैं / हम अनुबंध की शर्त का पालन करने और आवश्यकता, विनिर्देशों और शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए सहमत हैं, जैसा कि वर्तमान अनुबंध के निष्पादन के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है।

2. मैं / हम विषय निविदा के लिए बोली प्रस्तुत करने के लिए पात्र हैं और / हम सभी आवश्यक दस्तावेजों के कब्जे में हैं।

3. रुपये की राशि _____ (आंकड़ों के साथ-साथ शब्दों में), बयाना धन के रूप में अग्रेषित किया गया है। बयाना राशि का मूल्य किसी भी अन्य अधिकार या उपचार के लिए पूर्वग्रह के बिना जब्त किया जाएगा यदि:

मैं / हम समय अवधि के भीतर काम शुरू नहीं करते हैं या OEM से आवश्यक प्राधिकरण नहीं है।

4. मैं / हम / एक सूक्ष्म / लघु / मध्यम उद्यम है जो _____ (MSME मंत्रालय द्वारा अनुमोदित निकाय) से पंजीकृत है, समान सेवा अनुबंध के लिए पंजीकरण संख्या _____ और बयाना राशि लागत जमा करने से छूट दी गई है (पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न)।

5. जब तक एक औपचारिक समझौता तैयार और निष्पादित नहीं किया जाता है, तब तक राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी किए गए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (एलओए), हमारे और राष्ट्रीय महिला आयोग के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन करेगा, संशोधन के अधीन, जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हो सकता है। कार्य के लिए स्वीकृति या मेरे / हमारे प्रस्ताव के पत्र में संकेत दिया गया है।

(स्टैम्प के साथ हस्ताक्षर / या लेटर हेड में)

निविदाकर्ता का पता:

तारीख

स्थान

कोनिका मिनोल्टा फ़ोटोकॉपियर की सूची

| क्रम सं. | ब्रांड | मशीन क्रम सं. | खरीदने का महीना |
|----------|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. | बिजहब- 758 (75 प्रति मिनट पेज) | ए-795041000040 | मार्च, 2019 |
| 2. | बिजहब- 554-ई (55 प्रति मिनट पेज) | ए-61D041002796 | मई, 2016 |
| 3. | बिजहब- 554-ई (55 प्रति मिनट पेज) | ए-61D041002767 | मई, 2016 |

बोलीदाताओं की सामान्य जानकारी

| क्र.सं. | मद | ब्यौरें |
|---------|--|---------|
| 1. | फर्म का नाम | |
| 2. | फर्म का गठन (कंपनी/साझेदारी फर्म/संपत्ति फर्म) | |
| 3. | फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम | |
| 4. | फर्म की स्थापना का वर्ष | |
| 5. | पंजीकृत पता | |
| 6. | शाखा कार्यालयों का पता, यदि कोई हो | |
| 7. | बैंक खाता सं., फर्म का नाम, आईएफएससी कोड के साथ बैंक का नाम और सार्वजनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से भुगतान की इलेक्ट्रॉनिक निकासी के लिए बैंक खाते के अनुसार नाम | |
| 8. | फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि का टेलीफोन नं. और मोबाइल नंबर | |
| 9. | फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि का ई-मेल पता | |
| 10. | टेलीफैक्स नंबर | |
| 11. | पेन/टेन नंबर | |
| 12. | माल और सेवा कर पंजीकरण नंबर | |

(फर्म के हस्ताक्षर और मुहर)